प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः-1789 /पि0व0क0/2015–16 लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–492/64–2–2014(छात्रवृत्ति)/ 2013 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (तृतीय संशोधन) नियमावली–2014 के प्रस्तर–6(2) में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं–

1. "यह छात्रवृत्तियॉ निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायेगीः–

क. विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम।
ख. निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम।
ग. ट्रेनिंग शिप डफरिन (राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम।
घ. सैनिक महाविद्यालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
च. अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम।
छ. पत्राचार पाठ्यक्रम व सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम।
ज. कामर्शियल पायलेट लाइसेंस के पाठ्यक्रम (सीपीएल)"।

दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय न होने के बावजूद भी जनपद में अभी तक कुछ ऐसी संस्थाएं जो उक्त संदर्भित पाठ्यक्रम संचालित कराते हैं, को मास्टर डाटाबेस से विलुप्त नहीं कराया गया है, जिन्हें मास्टर डाटाबेस से विलुप्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

2. निदेशालय के पत्र संख्या–743/पि0व0क0/2015–16 दिनांक 02 जुलाई, 2015 एवं पत्र संख्या–911/पि0व0क0/2015–16 दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 18 मार्च, 2015 एवं 04.06.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षण

संस्थान की मान्यता, स्वीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमों की मान्यता व अवधि, पाठ्यक्रमवार स्वीकृत छात्रों की संख्या तथा स्वीकृत फीस का विवरण डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित किये जाने के निर्देश आप सभी को पूर्व में ही दिये जाने के बावजूद भी अभी तक सभी संस्थाओं द्वारा संचालित कोर्सों की फीस मास्टर डाटाबेस में अंकित नहीं की गयी है, जिससे वर्ष 2015–16 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया बाधित हो रही है। जनपदों में संचालित ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने अपनी संस्थाओं में संचालित कोर्सों की फीस अभी तक मास्टर डाटाबेस में अंकित नहीं की गयी है, से अविलम्ब कोर्सों की फीस मास्टर डाटाबेस में अपलोड करवायी जानी है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सं0–1 में अंकित उपरोक्त दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं पत्राचार पाठ्यक्रम को मास्टर डाटाबेस से विलुप्त करायें तथा जनपदों में संचालित ऐसी शिक्षण संस्थाए जिन्होंने अपनी संस्थाओं में संचालित कोर्सों की फीस अभी तक मास्टर डाटाबेस में अंकित नहीं की गयी है, की फीस मास्टर डाटाबेस में अविलम्ब अपलोड करवाते हुए कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।

पृ0सं0/ 1789 /पि0व0क0/2015–16 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।